

क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/15/3857

जयपुर, दिनांक: 4/8/15

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
राज0 जयपुर।

विषय: निकाय चुनाव में सदस्यों की शैक्षणिक योग्यता के कम में।
प्रसंग: आपका पत्र क्रमांक एफ.1(1)(2)नपा/रानिआ/94/I/5662-5663
दिनांक 31.7.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसांगिक पत्र के कम में निम्न प्रकार स्थिति स्पष्ट की जाती है:-

निर्वाचन आयोग का प्रश्न	विभागीय मत
निकाय चुनाव में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा माध्यमिक स्तर से उच्च स्तर की शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज उपलब्ध करवाये जाते हैं किन्तु माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह स्वीकार होगा अथवा माध्यमिक स्तर का दस्तावेज ही अनिवार्य है।	माध्यमिक स्तर से उच्च स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के दस्तावेज उपलब्ध कराने पर उस व्यक्ति को माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण माना जायेगा।
राजस्थान राज्य एवं अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों द्वारा नोन-मैट्रिक व्यक्तियों को स्नातक/ स्नातकोत्तर अथवा अन्य उच्च डिग्री प्रदान की जाती है तो क्या इस प्रकार की डिग्री का दस्तावेज स्वीकार होगा अथवा नहीं।	माध्यमिक स्तर से उच्च स्तर के प्रमाण पत्र डिप्लोमा डिग्री इत्यादि के पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने पर अभ्यर्थियों की उच्च शैक्षणिक योग्यता बिना मैट्रिक प्रमाण पत्र के भी विधिक रूप से मान्य होगी

(पुरुषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव,

क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/15/3858 to 3859 दिनांक: 4/8/15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ.4(1)(1)/नपा/रानिआ/15-16/5744

दिनांक: 4/8/15

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार सिंह)
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर